**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 5330**

**03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण की स्थिति**

**†5330. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋणों के पुनर्भुगतान का ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास हिमाचल प्रदेश में विस्तारित और लिए गए ऋणों संबंधी वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना का उद्देश्य पथ विक्रेताओं की सहायता करने और उनके व्यवसायों को समर्थन देने के लिए संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) 24.03.2025 तक, प्रधान मंत्री पथ-विक्रेता आत्मनिर्भर निधि+ (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत कर्नाटक में इस योजना की शुरुआत से अब कुल 2,97,773 ऋणों को चुकाया जा चुका है। इसके अलावा, पिछले दो वर्षों के दौरान चुकाए गए ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

| वित्तीय वर्ष | चुकाए गए ऋण |
|---|---|
| 2022-23 | 51,097 |
| 2023-24 | 80,519 |
| 2024-25 (24.03.2025 तक) | 1,03,326 |

(ख) जी हां, पीएम स्वनिधि योजना का  पथ-विक्रेताओं, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), ऋण देने वाली संस्थाओं (एलआई), डिजिटल भुगतान एग्रीगेटरों (डीपीए) और अन्य हितधारकों के लिए अपना स्वयं का कस्टमाइज्ड और एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म (www.pmsvanidhi.mohua.gov.in) है। पब्लिक डोमेन में उपलब्ध डैशबोर्ड रियल-टाइम में योजना के निष्पादन की निगरानी करता है, जिसमें संवितरित ऋणों की संख्या, लाभार्थियों की संख्या, संवितरित ऋणों की राशि, पात्र आवेदन, डिजिटल रूप से सक्रिय पथ-विक्रेता आदि जैसे प्रमुख संकेतक प्रदर्शित होते हैं। वे पथ-विक्रेता जो सफलतापूर्वक अपना पहला 10,000 रुपये का ऋण चुकाते हैं, वे 20,000 रुपये तक के दूसरे ऋण के लिए पात्र होते हैं। दूसरे ऋण का भुगतान करने पर, विक्रेता 50,000 रु. तक का तीसरा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। 24.03.2025 तक, हिमाचल प्रदेश में 18.98 करोड़ रु. की राशि के कुल 10,036 ऋण (प्रथम, द्वितीय और तृतीय बार के ऋण सहित) संवितरित किए गए हैं।

(ग) जी हां, पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य पथ-विक्रेताओं को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत, सरकार 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी के माध्यम से ऋणों के नियमित भुगतान को प्रोत्साहित कर रही है और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करते हुए प्रति वर्ष 1,200 रु. तक का कैश बैक दे रही है।

*****